FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

योगेश पुत्र धन्नाराम जाति जाट वगै. वनाम धनराज जाट पुत्र गिरधारीलाल जाट जाति जाट वगै.

सा. खाखड़की तह. नावां सा. ठोलियों की ढाणी भदूण तह. रूपनगढ़

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 03 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
02.01.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल बिजारणियां ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 194 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा सींव माठ को खुर्द बुर्द नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
6/2/23 23/1/23	पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रा०पत्र में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए उक्त प्रा०पत्र को [illegible] कर जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] हो नम्बर से कम हो कर [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested